

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
BHOPAL REGIONAL OFFICE




Converted to NBFC-MFI
w.e.f. 31/07/2017

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)
(Not valid for accepting Public Deposits)



संख्या

B-03.00175

No.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **अविरल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** को

[पूर्व में गोलेछा ट्रेड एंड मैनेजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड]

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

AVIRAL FINANCE PRIVATE LIMITED

[Formerly known as Golechha Trade and Managements Private Limited]

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नवंबर दो हजार सोलह की नौ तारीख को जारी किया गया।

this Ninth

Given under my hand at BHOPAL

day of November

Two Thousand Sixteen

In lieu of earlier certificate no. B-03.00175 issued on 10-04-2015



सागरिका श्री शर्मा

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager

<p>कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।</p>	<p>thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.</p>
<p>2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।</p>	<p>2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.</p>
<p>3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।</p>	<p>3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.</p>
<p>4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :-</p> <p>“कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक _____ का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमा राशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।”</p>	<p>4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under :</p> <p>“The company is having a valid Certificate of Registration dated _____ issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company.”</p>
<p>5. @आपकी कंपनी को जनता की जमा राशियां स्वीकार करने / रखने की अनुमति नहीं है।</p>	<p>5@.Your company is not allowed to accept / hold public deposits.</p>
<p>6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमा राशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमा राशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमा राशि स्वीकार करेगी।</p>	<p>6*.Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.</p>
<p>7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।</p>	<p>7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.</p>
<p>@ उन कंपनियों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमा राशियां स्वीकार न करें।</p>	<p>@ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI.</p>
<p>* जनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर लागू।</p>	<p>* Applicable to new companies incorporated on or</p>